

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2872
10.03.2026 को उत्तर के लिए नियत
पीएम-ई-बस सेवा-पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म स्कीम

2872. श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट' (जीसीसी) मॉडल के अंतर्गत ई-बसों के आवंटन (विशेषकर गुजरात राज्य को) सहित 'पीएम-ई-बस सेवा-पीएसएम' योजना के कार्यान्वयन की प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत स्थापित 'पेमेंट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क' का ब्यौरा क्या है, जिसमें कार्यान्वयनकारी अभिकरणों के रूप में 'कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड' (सीईएसएल) की भूमिका भी शामिल है;

(ग) स्वीकृत बसों की तैनाती और संचालन के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है और उक्त स्कीम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली संचालन सहायता की अवधि कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने 'सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों' (पीटीए) द्वारा चूक के मामले में देय राशि की वसूली के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ 'डायरेक्ट डेबिट मंडेट' तंत्र के संचालन की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क)और (ख): पीएम ई-बस सेवा-पीएसएम स्कीम 28.10.2024 को अधिसूचित की गई थी। कार्यान्वयन की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:

- स्कीम के दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) प्रकाशित किए गए।
- 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 10.12.2025 तक भारतीय रिज़र्व बैंक को डायरेक्ट डेबिट मंडेट (डीडीएम) प्रस्तुत किया है।
- दिनांक 28.02.2026 तक, पीएम-ई-बस सेवा स्कीम के अंतर्गत 6,228 बसों के लिए निविदाएं पूरी हो चुकी हैं।

- iv. सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा 4720 बसों के लिए अनुबंध पत्र जारी किए जा चुके हैं।
- v. पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत 10,900 बसों के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 2,900 बसों के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है।
- vi. वित्त वर्ष 25-26 में पीएसएम फंड की स्थापना के लिए सीईएसएल को 500 करोड़ रुपये संचित किए गए हैं।

गुजरात राज्य में पीएम-ईबस स्कीम के तहत 750 बसों को मंजूरी दी गई है और पीटीए द्वारा 555 बसों के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी किए गए हैं। आवंटित ई-बसों का राज्यवार विवरण निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बसों की संख्या		
		पीएम ई-ड्राइव (एमएचआई)	पीएम-ईबस सेवा (एमओएचयूए)	कुल
1	गुजरात	1,800	750	2,550
2	कर्नाटक	4,500	750	5,250
3	महाराष्ट्र	2,500	1,609	4,109
4	तेलंगाना	2,200	151	2,351
5	दिल्ली	2,800	-	2,800
6	आंध्र प्रदेश	-	1,050	1,050
7	मध्य प्रदेश	-	972	972
8	मेघालय	-	55	55
9	ओडिशा	-	400	400
10	पंजाब	-	447	447
11	पुडुचेरी	-	75	75
12	राजस्थान	-	1,150	1,150
13	जम्मू और कश्मीर	-	200	200
14	असम	-	100	100
15	उत्तराखंड	-	137	137
16	मणिपुर	-	50	50
17	अरुणाचल प्रदेश	-	50	50
18	गोवा	-	50	50
19	हरियाणा	-	450	450
20	बिहार	-	400	400

21	छत्तीसगढ़	-	240	240
22	केरल	-	293	293
23	हिमाचल प्रदेश	-	50	50
24	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	-	50	50
25	चंडीगढ़	-	428	428
26	लद्दाख	-	48	48
27	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	45	45
	कुल	13,800	10,000	23,800

कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) इस स्कीम के लिए केंद्रीय कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करती है, जो इलेक्ट्रिक बस ऑपरेटरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए समर्पित भुगतान सुरक्षा कोष का प्रबंधन करती है। सीईएसएल रियायत समझौतों और स्कीम दिशानिर्देशों के अनुसार भुगतान दावों की समीक्षा और सत्यापन करेगा। सीईएसएल राष्ट्रीय स्तर पर सकल लागत अनुबंध (जीसीसी) मॉडल के तहत निधि वितरण और ई-बस संचालन के एकीकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को विकसित करने के लिए भी जिम्मेदार है।

(ग): पीएसएम स्कीम के तहत तैनात प्रत्येक बस के लिए 12 वर्षों तक भुगतान सुरक्षा कवरेज प्रदान किया जाता है। आमतौर पर, बसों की तैनाती की समय-सीमा पीटीए और ओईएम के बीच सीए पर हस्ताक्षर करने की तारीख से दो वर्ष मानी जाती है।

(घ) और (ङ): 02.03.2026 तक, 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भारतीय रिज़र्व बैंक को डायरेक्ट डेबिट मंडेट (डीडीएम) प्रस्तुत किया है। ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों या तो भारी उद्योग मंत्रालय की पीएम ई-ड्राइव स्कीम या आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की (एमओएचयूए) पीएम-ई-बस सेवा स्कीम के अंतर्गत भाग ले चुके हैं।
